

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार निस्तार उरांव
पिता - प्रब्राह्म उरांव को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख
 में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के निस्तार मिंज
 द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम समसैरा खाता नं० २५१ रकबा
१.०० ए० वर्ष X का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई
 के दौरान निस्तार मिंज के अपना लिखित बयान दिया है कि उनके
 पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया
 है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त
 है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में
 उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार
दृष्ट नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया
 है कि विषयगत भूमि ग्राम समसैरा खाता न० २५१ प्लॉट न०
सर्वे खतियान में किस्म प्लॉट एवं पत्रिकार में दर्ज नहीं दर्ज है जो
 सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा०
 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है
 नियमितकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त
 तथ्यों से स्पष्ट है कि निस्तार उरांव पिता - प्रब्राह्म उरांव
ग्राम - समसैरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान
 पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
समसैरा	67	251	—	१.०० ए०

अतः विभागीय पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं
 भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में उक्त
 जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
 अंचल अधिकारी,
 बोकारन

अंचल अधिकारी,
 बोकारन

18-11-2021